संख्या-02/2020/ 56/एक-9-2020-7-एम/2018

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उ0प्र0।

राजस्व अनुभाग-9 लखनऊः दिनांकः 26 मई, 2020

विषयः हैसियत प्रमाण-पत्र के स्वरूप में आंशिक संशोधन सम्बन्धी दिशा-निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में शासनादेश संख्या-सी0एम0-648/एक-9-2018-7(एम)/18, दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है।

2- शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त ऑनलाइन हैसियत प्रमाण पत्र जारी किये जाने सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 29 अक्टूबर, 2018 में निम्नवत् संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः-

क्रम	शासनादेश दिनांक 29.10.2018 में प्राविधानित व्यवस्था	अद्यतन व्यवस्था
1	2	3
1	**हैसियत प्रमाण पत्र हेतु सामान्य उपबन्ध-**	
	(4) आवेदक की हैसियत जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अचल सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति के मूल्यांकन का अनुपात 2:1 हो अर्थात् हैसियत प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी कुल मूल्यांकन में चल सम्पत्ति का मूल्य, अचल सम्पत्ति (भारमुक्त) के मूल्यांकन का आधा या उससे कम मान्य किया जायेगा।	(4) आवेदक की हैसियत जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अचल सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति के मूल्यांकन का अनुपात 2:1 हो अर्थात् हैसियत प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी कुल मूल्यांकन में चल सम्पत्ति का मूल्य, अचल सम्पत्ति (भारमुक्त) के मूल्यांकन का आधा या उससे कम मान्य किया जायेगा। 4.1 यदि हैसियत प्रमाण पत्र ठेकेदारी के लिये जारी की जा रही है अर्थात् आवेदन पत्र के भाग-1 के 1.13 में प्रयोजन ठेकेदारी है तो- "आवेदक की हैसियत जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अचल सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति के मूल्यांकन का अनुपात 2:1 हो अर्थात् हैसियत प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी कुल मूल्यांकन में

		चल सम्पत्ति का मूल्य, अचल सम्पत्ति (भारमुक्त) के मूल्यांकन का आधा या उससे कम मान्य किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बंधक परिसम्पत्तियों को शामिल नहीं किया जायेगा। 4.2 यदि आवेदन पत्र के भाग-1 के 1.13 में प्रयोजन ठेकेदारी न होकर आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा, रोजगार में आरक्षण अथवा विभिन्न शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिये है तो- "आवेदक की हैसियत जारी करते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अचल सम्पत्ति एवं चल सम्पत्ति के मूल्यांकन का अनुपात 2:1 हो अर्थात् हैसियत प्रमाण-पत्र में दर्शायी गयी कुल मूल्यांकन में चल सम्पत्ति का मूल्य, अचल सम्पत्ति (भारमुक्त)के मूल्यांकन का आधा या उससे कम मान्य किया जायेगा तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर बंधक परिसम्पत्तियों को भी मूल्यांकन हेतु शामिल किया जायेगा।
2	**हैसियत प्रमाण पत्र हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया-**	
	"सर्वप्रथम आवेदक edistrict की वेबसाइट (edistrict.up.nic.in) पर सिटीजन लागिन के द्वारा ऑनलाइन अथवा जनसेवा केन्द्र पर प्रार्थना पत्र भरने के लिये अपना नाम व मोबाइल नम्बर आवेदन पत्र (आकार पत्र हैसियत-1) में भरेगा जिसका सत्यापन पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर (One Time Password) ओ0टी0पी0 द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात् प्रार्थना पत्र का शेष भाग/फार्म निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन /जनसेवा केन्द्र पर, आवश्यक संलग्नकों सहित भरा जायेगा। तत्पश्चात् यह प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी की यूजर आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा।	"सर्वप्रथम आवेदक edistrict की वेबसाइट (edistrict.up.nic.in) पर सिटीजन लॉगिन के द्वारा ऑनलाइन अथवा जनसेवा केन्द्र पर प्रार्थना पत्र भरने के लिये अपना नाम व मोबाइल नम्बर आवेदन पत्र (आकार पत्र हैसियत-1) में भरेगा जिसका सत्यापन पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर (One Time Password) ओ0टी0पी0 द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के पश्चात् प्रार्थना पत्र का शेष भाग/फार्म निर्धारित प्रारूप पर ऑनलाइन /जनसेवा केन्द्र पर, आवश्यक संलग्नकों सहित भरा जायेगा तथा आवेदक द्वारा हैसियत प्रमाण पत्र का प्रयोजन भी उल्लिखित किया जायेगा। तत्पश्चात् यह प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी की यूजर आई0डी0 पर प्रेषित किया जायेगा।

3- तद्नुसार हैसियत प्रमाण पत्र एवं आवेदन पत्र का संशोधित प्रारूप भी संलग्न है।

--3/--

4- इस सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश दिनांक 29.10.2018 में शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। शासनादेश दिनांक 29.10.2018 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रक्रिया का पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। यह शासनादेश निर्गत तिथि से प्रभावी माना जायेगा।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीया,

20/11/2020

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 02/2020/56(1)/ एक-9-2020-7-एम/2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।

2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

4- स्टाफ ऑफिसर, अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0।

5- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

6- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0 को शासन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजय गोयल)
सचिव।

Bar code

उत्तर प्रदेश शासन
(कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट)

हैसियत प्रमाण–पत्र

आवेदन संख्याः प्रमाणपत्र संख्या जारी दिनांक :
वैधता तिथिः

Add Photo

1. संस्था का नाम :
2. मुख्य कार्यकारी का नाम :
3. निवास स्थान :
(अ) पत्राचार का पता :
(ब) स्थायी पता :
4. व्यवसाय
5. पैन नम्बर
6. सम्पति का विवरणः आवेदक के अंश का मूल्यांकन
(पूर्ण विवरण संलग्ननुसार)
(अ) अचल संपति का मूल्यांकन (भारयुक्त) : रु .....
(ब) चल संपति का स्वीकार्य मूल्यांकन : रु .....
(स) शासकीय देय : रु .....
7. कुल स्वीकार्य मूल्यांकन [(अ+ब)–स] : रु .....
8. हैसियत प्रमाण पत्र का प्रयोजन :

आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत किये गये विवरण, तहसील/जी0ए0वी0/सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गयी जांच के आधार पर .....की अचल एवं चल सम्पतियों के मूल्यांकन का विवरण उपरोक्तानुसार है। तद्नुसार .....की हैसियत ....(हजार के गुणांक में) निर्धारित की जाती है।

जारीकर्ता केन्द्र (हस्ताक्षर एवं मोहर)	**Digitally signed by**	डिजिटल हस्ताक्षरित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर रायबरेली

नोट:–

1–इस प्रमाण–पत्र की वैधता अवधि के दौरान इस प्रमाण–पत्र को संशोधित/निरस्त करने का अधिकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्ट्रेट का होगा।

2– 2.1–आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का प्रयोजन यदि ठेकेदारी है तो हैसियत प्रमाण–पत्र के आंकलन में सम्मिलित परिसम्पत्ति/ भूमि बंधक रहित है।

2.2–आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन का प्रयोजन यदि आर्थिक स्थिति के आधार पर शिक्षा, रोजगार में आरक्षण अथवा विभिन्न शासकीय योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कोई आर्थिक लाभ प्राप्त होना है तो हैसियत प्रमाण–पत्र के आंकलन में बंधक परिसम्पत्तियाँ भी शामिल है।

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

यह प्रमाण–पत्र बेवसाइट **http://edistrict.up.nic.in** पर इसका पहले आवेदन कर फिर प्रमाण–पत्र क0 अंकित कर, सत्यापित किया जा सकता है।

8
15/5/2020

हैसियत प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

1–आवेदक का विवरण–
सेवा में
जिलाधिकारी

सेवा में

भाग 01(आवेदक का विवरण)
हैसियत प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन
आवेदक का विवरण(व्यक्तिगत)

सेवा में जिलाधिकारी		सेवा में जनपद–.........		
भाग–01 (आवेदक का विवरण)				
व्यक्ति/संस्था		व्यक्ति		
1.01 आवेदक का नाम				
1.02 पिता का नाम			1.04 जन्मतिथि	
1.03 मोबाइल				
1.05 आधार नं0			1.06 पैन नं0	
1.07 डिन नं0(Director's Identification No.)(यदि हो)				
1.08 आवेदक जिन फर्मो/कंपनियों का निदेष/पार्टनर है/रहा है–				
क0सं0	फर्म/कम्पनी का नाम	पद	समयावधि मास में	
1	2	3	4	
				सुरक्षित
1.09 पत्राचार का पता	जनपद चुनें		तहसील चुनें	
पता 1				
पता 2				
पता 3				
पिनकोड				
1.10 स्थाई पता	उपरोक्त			
पत्राचार का पता	जनपद चुनें		तहसील चुनें	
पता 1				
पता 2				
पता 3				
पिनकोड				
1.11 शैक्षिक योग्यता	चुनें			
1.12 व्यवसाय	चुनें			
1.13 हैसियत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का प्रयोजन				
	सुरक्षित करें व आगे बढ़े		वापस	

आवेदक का विवरण(संस्था)

व्यक्ति/संस्था ○ व्यक्ति ○ संस्था संस्था का प्रकारः [ ]

8
18/5/2020

1.01. संस्था का नाम			
1.02. मुख्य कार्यकारी का नाम			
1.03.सम्पर्क मोबाइल नं0		1.04 रजिस्ट्रेशन दिनांक	
1.05 आधार नं0		1.06. संस्था का पैन नं0	
1.07.सी0आई0एन/एस0पी0एस(यदि हो)			
1.08.आवेदक जिन फर्मो कंपनियों का निदेशक/पार्टनर है/या			
कमसं0	कर्मचारी का नाम	पद	समयावधि
			सुरक्षित करें
1.09. पत्राचार का पता	जनपद चुने		तहसील चुने
पता 1			
पता 2			
पता 3			
पिन कोड			
1.10. स्थाई कोड	○ उपरोक्त		
पत्राचार का पता			
पता 1			
पता 2			
पता 3			
पिन कोड			
1.11शैक्षिक योग्यता			
1.12 व्यवसाय			
1.13 हैसियत प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का प्रयोजन			

8
15/5/2020